अनुसूची–१

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३

# नगर राजपत्र

## चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड १० श्रावण ०१ गते, २०८३ साल संख्या १

## भाग-१

## चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका

चौतारा, सिन्धुपाल्चोक

बागमती प्रदेश, नेपाल

### चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३

प्रस्तावनाः नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर, शूल्क तथा दस्तुर संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको सविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम यो विधेयक बनाइएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८३ रहेको छ ।

(२) यस ऐन बमोजिमका दफाहरु सम्वत् २०८३ श्रावण १ गते देखि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका क्षेत्र भित्र लागू हुनेछ ।

२. **सम्पत्ति करः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुची-१ (क) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत)ः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुची-१ (ख) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

४. **घर बहाल करः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आशिंक तवरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची-१ (ग) बमोजिम घर बहाल कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

५. **व्यवसाय करः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची-१ (घ) बमोजिम व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ । प्रत्येक आ.व. मा व्यवसाय कर तिर्दा व्यवसाय दर्ता वा नविकरण शुल्क अनिवार्य रुपमा अशुल गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।

६. **जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु करः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरेको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोबार गरेवापत अनुसूची-१ (ङ) बमोजिम कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

७. **विज्ञापन करः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची-१ ( च) बमोजिम विज्ञापन कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ तर वागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएको राजश्व शिर्षकको दरका सम्बन्धमा सोही बमोजिम हुनेछ ।

८. **बहाल बिटौरी शूल्कः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका वा सार्वजनिक पर्ने जग्गाहरुमा नगरपालिकाको पूर्व स्वीकृतिमा बनाई संचालन हुने सार्वजनिक निर्माणमा अनुसुची-१ (छ) बमोजिम बहाल बिटौरी शूल्क लगाईने र असूल उपर गरिनेछ ।

९. **पार्किङ शूल्कः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसुची-१ (ज) बमोजिम पार्किङ शूल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

१०. **सेवा शूल्क/दस्तुरः** (अ) आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिकाले निर्माण, संचालन व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट अनुसुची-१ झ (अ) बमोजिम सेवा शूल्क/दस्तुर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

(आ) प्रवेश शुल्क : नगरपालिकाबाट निर्मित तथा व्यवस्थित पार्क, उद्यान वा बगैँचामा अनुसूची-१ झ (आ) अनुसारको प्रवेश शुल्क लगाइनेछ ।

(इ) **निःशुल्क गरिने सिफारिसहरुः** नगरपालिका/वडाबाट अनुसूची १ झ (इ) मा उल्लेखित सिफारिस बाहेक अरु सबै सिफारिसमा निर्धारीत शुल्क लिएर मात्र सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यस प्रकारको शुल्क लिए नलिएको एकिन गरी पत्र चलानी गर्ने दायित्व वडा सचिवको हुनेछ । तर विभिन्न ऐन, कानूनका अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रकारका सिफारिसको हकमा तोकिएको शुल्क अशुली सम्बन्धमा वडा अध्यक्ष जिम्मेवार हुनेछन् ।

(ई) **दर्ता/नविकरण तथा सूचीकरण शुल्कः** नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा दर्ता/नविकरण वा सूचीकरण हुने व्यवसाय, वन, खानेपानी मुहान, समिति तथा संघसंस्थाहरु लगायतलाई अनुसूची १ झ (ई) बमोजिमको शुल्क लाग्नेछ।

११. **पर्यटन शूल्कः** यस नगरपालिकाले आफनो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट अनुसूची-१ (ञ) बमोजिम पर्यटन शूल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ। तर वागमती प्रदेश सरकारको प्रदेश आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएको राजश्व शीर्षकको दरका सम्वन्धमा सोही बमोजिम हुनेछ।

१२. **सवारी कर, पेट्रोल, अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सा, टाँगाः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिका क्षेत्र भित्र सवारी कर, पेट्रोल, अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सा, टाँगा सवारी साधन वार्षिक व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शूल्क वापत अनूसूची १ (ट) बमोजिम शूल्क दस्तुर लगाईने र अशुल उपर गरीनेछ।

१३. **कर छुटः** (१) यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन।

(२) तत्कालीन स्थानीय निकायको कानून बमोजिम निर्धारण भएका सबै प्रकारका राजस्व वक्यौता रकम, दण्ड जरिवानालाई छुट दिइने छैन।

(३) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले संचालन गरेका व्यवसायहरुमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइनेछ। महिलाहरुको नाममा २०८३ श्रावण देखि दर्ता भई संचालन हुने नयाँ व्यवसायहरुमा ३५ प्रतिशत कर छुट दिइनेछ।

१४. **विक्री शुल्क :** स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ क. बमोजिम नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन तथा वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, एवं माटोजन्य बस्तुमा बागमती प्रदेश सरकार बाट निर्धाण भए बमोजिम विक्री शुल्क लगाइनेछ। यस्तो शुल्क ठेक्काद्वारा व्यवस्थापन गर्दा कबोल रकम एकमुष्ठ अग्रिम बुझाएमा कबोल रकमको ५ प्रतिशत रकम छुट दिइनेछ।

१५. **कर छली गर्न नहुनेः** कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति, संस्था वा फर्मले कर छली गर्न पाउने छैन। कसैले कर छली गरेमा सरकारी बाँकी सरह अशुल उपर गरिनेछ।

१६. **कर्मचारी/शिक्षकको परीक्षा शुल्कः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा नगरपालिकाले नियुक्ती गर्ने अन्य विविध सेवाका कर्मचारी र विद्यालय तर्फका शिक्षक/कर्मचारी नियुक्ती गर्दा अनूसूची १ (ठ) बमोजिम परीक्षा दस्तुर लिइनेछ।

१७. **कर तथा शूल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधिः** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शूल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ।

१८. **दण्ड जरिवानाः** आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा यस नगरपालिकामा तोकिएको समय भित्र कर तथा शुल्क नबुझाउने तथा नगरपालिका क्षेत्र भित्र प्रचलित कानूनले निषेध गरेको कार्य उपर अनूसूची १ (ड) बमोजिम जरिवाना लगाईने र अशुल उपर गरीनेछ। वार्षिक रुपमा नगरपालिकालाई तिनुपर्ने करको सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष भित्र व्यवसाय कर नतिरेमा सोको हकमा प्रत्येक वर्ष वार्षिक तिनुपर्ने करको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम थप जरिवाना वापत् अशुल गर्ने तथा मालपोत र सम्पत्ति कर नतिरेमा सोको हकमा पहिलो वर्ष वार्षिक तिर्नुपर्ने करको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम र तेस्रो वर्ष देखि १०० प्रतिशतले हुन आउने रकम थप जरिवाना वापत् अशुल गरिनेछ।

अनुसूची–१ (क)

**(दफा २ सँग सम्बन्धित )**

**सम्पत्ति कर**

| सि.नं. | विवरण | आ.व ०८३/८४ को लागि करको दर (रु) |
|---|---|---|
| १ | ५ लाख सम्म | १५० |
| २ | ५ लाख १ रुपैया देखि १० लाखसम्म | ३०० |
| ३ | १० लाख १ रुपैया देखि १५ लाखसम्म | ४५० |
| ४ | १५ लाख १ रुपैया देखि २० लाखसम्म | ६०० |
| ५ | २० लाख १ रुपैया देखि २५ लाख सम्म | ७५० |
| ६ | २५ लाख १ रुपैया देखि ३० लाख सम्म | ९५० |
| ७ | ३० लाख १ रुपैया देखि ३५ लाख सम्म | १,१५० |
| ८ | ३५ लाख १ रुपैया देखि ४० लाख सम्म | १,३५० |
| ९ | ४० लाख १ रुपैया देखि ४५ लाख सम्म | १,५५० |
| १० | ४५ लाख १ रुपैया देखि ५० लाख सम्म | १,७५० |
| ११ | ५० लाख १ रुपैया देखि ६० लाख सम्म | २,००० |
| १२ | ६० लाख १ रुपैया देखि ७० लाख सम्म | २,२५० |
| १३ | ७० लाख १ रुपैया देखि ८० लाख सम्म | २,५०० |
| १४ | ८० लाख १ रुपैया देखि ९० लाख सम्म | २,७५० |
| १५ | ९० लाख १ रुपैया देखि १ करोड सम्म | ३,००० |
| १६ | १ करोड १ रुपैया देखि १ करोड २० लाख सम्म | ३,५०० |
| १७ | १ करोड २० लाख १ रुपैयादेखि १ करोड ६० लाख सम्म | ४,५०० |
| १८ | १ करोड ६० लाख १ रुपैया देखि २ करोडसम्म | ५,५०० |
| १९ | २ करोड १ रुपैया देखि २ करोड ५० लाख सम्म | ६,७५० |
| २० | २ करोड ५० लाख १ रुपैया देखि ३ करोड सम्म | ८,००० |
| २१ | ३ करोड १ रुपैया देखि ४ करोडसम्म | १०,५०० |
| २२ | ४ करोड १ रुपैया देखि ५ करोड सम्म | १३,००० |
| २३ | ५ करोड १ रुपैया देखि ६ करोड सम्म | १५,५०० |
| २४ | ६ करोड १ रुपैया देखि ७ करोड सम्म | १८,००० |
| २५ | ७ करोड १ रुपैया देखि ८ करोड सम्म | २०,५०० |
| २६ | ८ करोड १ रुपैया देखि १० करोड सम्म | २५,५०० |
| २७ | १० करोड १ रुपैया देखि २० करोड सम्म | ४५,००० |
| २८ | २० करोड १ रुपैया भन्दा माथि | १,००,००० |

## भवन/संरचनाको न्यूनतम मुल्याङ्कन

| सि.नं. | घर तथा भवनको विवरण | न्यूनतम मुल्याङ्कन (प्रयोगका आधारमा) | |
|---|---|---|---|
| | | व्यापारीक (प्रति वर्ग फिट रु.) | आवासीय (प्रति वर्ग फिट रु.) |
| **१** | **आर.सि.सि. फ्रेम संरचनायुक्त भवन (स्वीकृत नक्शा बमोजिम)** | | |
| १.१ | बाहिर प्लाष्टर नभएको तथा भित्र वाहिर रंगरोगन नभएको | २,३०० | २,०५० |
| १.२ | भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी रंगरोगन भएको | २,८०० | २,५०० |
| १.३ | टायल, मार्बल सहित पूर्ण फर्निसिङ | ३,००० | ३,००० |
| १.४ | A/C, फल सिलिङ्ग, परकेटिङ | ३,५०० | ३,५०० |
| **२** | **लोड वियरिङ इट्टा सिमेन्ट तथा ढुङा सिमेन्ट जोडाई गरी वनाएको** | | |
| २.१ | भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर गरी रंगरोगन भएको | १,८५० | १,८५० |
| २.२ | बाहिर प्लाष्टर नभएको तथा भित्र बाहिर रंगरोगन नभएको | १,६२५ | १,६२५ |
| **३** | **लोड वियरिङ इट्टा माटो तथा ढुङा माटोको जोडाई गरी वनाएको** | | |
| ३.१ | भित्र बाहिर प्लाष्टर गरी रंगरोगन भएको | १,४०० | १,४०० |
| ३.२ | प्लाष्टर नभएको तथा भित्र वाहिर रंगरोगन नभएको | १,३०० | १,३०० |

## जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन

| क्र.सं. | सडकको नाम | पर्ने स्थान | मालपोत कार्यालय अनुसार (०८३/८४) | नगरपालिकाको दर | * |
|---|---|---|---|---|---|
| **क.** | **व्यवसायिक जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्कन** | | | | |
| १ | अरनिको राजमार्ग दायाँवायाँ | साविक साँगाचोक र कदमबास हाल चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं. ९, १०, ११, १२ | ४८ लाख | ४८ लाख | |
| २ | वन्देउ चौतारा सडक दायाँवायाँ | साविक साँगाचोक गाविस वडा नं. २, ४, ५, ६, ७, ८ र ९, साविक इर्खु गाविस वडा नं. १, ५, ६ र ९, हाल चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं. ७, ८, १०, ११, १२ | ३० लाख | ३० लाख | |
| ३ | वन्देउ चौतारा सडक दायाँवायाँ | पुरानो वसपार्क देखि जि.स.स चोक, चौतारा गाविस वडा नं. ५ र ८, चौ.सा.गढी. न.पा.-५ | ६४ लाख | ६४ लाख | |
| ४ | वन्देउ चौतारा सडक दायाँवायाँ | साविक चौतारा गाविस वडा नं. १, २, ४ र ९, हाल चौ.सा.गढी. न.पा.-०५ | ४० लाख | ४० लाख | |

| क्र.सं. | सडकको नाम | पर्ने स्थान | मालपोत कार्यालय अनुसार (०८३/८४) | नगरपालिकाको दर | कैं |
|---|---|---|---|---|---|
| ५ | चौतारा स्याउले सडकसँग जोडिएको जग्गा | साविक चौतारा, स्याउले र पिपलडाँडा गाविस., हाल चौ.सा. गढी न.पा.वडा नं. १, ५ र ६ | २५ लाख | २५ लाख | |
| ६ | चौतारा मेलम्ची सडकसँग जोडिएको जग्गा | चौतारा सहिद चोक देखि साविक पिपलडाँडा गाविस, हाल चौ.सा.गढी. न.पा.-०५ र ०६ | २४ लाख | २४ लाख | |
| ७ | चौतारा सिपाघाट सडकसँग जोडिएको जग्गा | चौतारा वसपार्क देखि साविक सानुसिरुवारी वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ९, हाल चौ.सा.गढी. न.पा.-०७ | २५ लाख | २५ लाख | |
| ८ | चौतारा कुविन्डे सडकसँग जोडिएको जग्गा | साविक कुविन्डे गाविस वडा नं. २,३,४,७ र ९, हाल चौ.सा.गढी. न.पा.-०४ | २४ लाख | २४ लाख | |
| ९ | मेलचौर भैंसे सडकसँग जोडिएको जग्गा | साविक इर्खु र कदमबास हाल चौ.सा.गढी. न.पा.-७, ८ र ९ | १८ लाख | १८ लाख | |
| १० | मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको घडेरी जग्गा | - | २० लाख | २० लाख | |
| ११ | नगरपालिका भित्र पक्की मोटरबाटोसँग जोडिएको जग्गा | - | २० लाख | २० लाख | |
| **ख.** | **आवासिय जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्कन** | | | | |
| १२ | नगरपालिका भित्र अन्य सडक बाटोसँग जोडिएको जग्गा | - | १६ लाख | १६ लाख | |
| १३ | अन्य गोरेटो बाटोसँग जोडिएको जग्गा | चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं. ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ | ५ लाख | ५ लाख | |
| १४ | अन्य गोरेटो बाटोसँग जोडिएको जग्गा | चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं १,२,३ | ३ लाख | ३ लाख | |
| १५ | अन्य गोरेटो बाटोसँग जोडिएको जग्गा | चौ.सा. गढी न.पा. वडा नं. ५ | ८ लाख | ८ लाख | |
| **ग.** | **कृषि जग्गाको न्युनतम मुल्याङ्कन** | | | | |
| १६ | यस नगरपालिकाको बाटोले नछोएको कृषि क्षेत्रको जग्गा | चौ.सा.गढी. न.पा. वडा नं. १,२,३ | ६२ हजार ५ सय | ६२ हजार ५ सय | |
| १७ | यस नगरपालिकाको बाटोले नछोएको कृषि क्षेत्रको जग्गा | वडा नं. ५ | १ लाख १५ हजार | १ लाख १५ हजार | |
| १८ | यस नगरपालिकाको बाटोले नछोएको कृषि क्षेत्रको जग्गा | वडा नं. ४, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ र १४ | ७५ हजार ५ सय | ७५ हजार ५ सय | |

अनुसूची–१ (ख)

**(दफा ३ सँग सम्बन्धित)**

**भूमि कर (मालपोत)**

| सि.नं. | विवरण | आ.व ०८३/८४ को लागि करको दर (रु.) |
|---|---|---|
| **१** | **व्यवसायिक/कालोपत्रे सडकमा जोडिएका जग्गा** | |
| १.१ | १ रोपनी सम्म जोडिएको कालोपत्रे सडक | ४०० |
| १.२ | १ रोपनी भन्दा माथि प्रति रोपनी १०० का दरले थप हुने | १०० |
| **२** | **आवासिय/मोटरबाटोमा (ग्राभेल, माटे सडक) जोडिएका जग्गा** | |
| २.१ | मोटरबाटोमा (ग्राभेल, माटो सडक) जोडिएका जग्गा १ रोपनी सम्म | १५० |
| २.२ | मोटरबाटोमा (ग्राभेल, माटो सडक) जोडिएका जग्गा १ रोपनी भन्दा माथी थप | ४० |
| **३** | **कृषि/धान खेत** | |
| ३.१ | धान खेत - १ रोपनी सम्म | १०० |
| ३.२ | धान खेत - १ रोपनी भन्दा बढीमा प्रति रोपनी थप | ३० |

अनुसूची–१ (ग)

**(दफा ४ सँग सम्बन्धित )**

**बहाल कर**

| सि.नं. | विवरण | आ.व ०८३/०८४ को लागि करको दर (रु.) |
|---|---|---|
| १. | घरवहाल कर | १० प्रतिशत |
| २. | हल भाडा कर | १० प्रतिशत |
| ३. | मेसिन उपकरण बहाल कर | १० प्रतिशत |
| ४. | जग्गा भाडा कर (कृषि तथा पशुजन्य बाहेक) | १० प्रतिशत |

**यस चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई निम्नानुसार वर्गिकरण गरी तपशिल बमोजिम घर वहाल कर संकलन गरिनेछ ।**

| सि.नं | क्षेत्र | घोषणा | घर वहाल कर संकलनको न्यूनतम आधार | थप आधार |
|---|---|---|---|---|
| १. | ☞ नगरपालिकाको ५ नं. वडाको भिन्तुना चोक देखि नगरपालिका जाने वाटोको पिपल वोट सम्म<br>☞ ५ नं. वडाकै सोही वाटोको वन परिसर जाने सहायक वाटोको तम्मर वहादुर तामाङ को घर सम्म<br>☞ ५ नं. वडाकै घले गाउँ भर्ने वाटोको नमस्ते होटल सम्म<br>☞ ५ नं. वडाकै नवलपुर चोक देखि मालपोत कार्यालय हुँदै माधवलाल कर्माचार्य को घर सम्म<br>☞ नगरपालिकाको वडा नं.१०, वडा नं.९, वडा नं. ११ र वडा नं.१२ समेटेको सिम्ले र सुकुटे क्षेत्र | व्यापारीक क्षेत्र | ☞ बाटोसँग सटेका घरहरुको पहिलो तलामा प्रति घर न्यूनतम भाडा रु. २०००<br>☞ दोस्रो तलामा रहेका सटर र कोठामा प्रति सटर वा कोठा न्यूनतम रु. १५००<br>☞ तेस्रो तलामा रहेका कोठामा प्रति कोठा न्यूनतम रु. १००० | ☞ यस क्षेत्रका सटरहरुमा वहाल कर प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले सटरहरुको सम्वन्धमा अभिलेख राखि न्यूनतम भाडा वहाल करको १०% वार्षिक रुपमा असुल गर्ने छ ।<br>☞ घर धनिले व्यवसाय गर्न अर्कै व्यक्तिलाई दिएको र ति दुई पक्षको सम्झौतामा वहाल कर तिर्ने दायित्व व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको भए सम्झौतामा उल्लेख गरिएको रकमको १०% सम्वन्धित व्यवसायीबाट असुल उपर गरीनेछ । तर यस प्रयोजनको लागि वहाल दर सो क्षेत्रमा चलेको चलन चल्तीको दर भन्दा कम हुने छैन । चलन चल्तीको दर भन्नाले सो क्षेत्रमा सरकारी कार्यालयले घर भाडामा लिँदा तिरेको वहाल वा लिमिटेड कम्पनीहरुले तिरेको वहाल वा माथिका दुइ आधारबाट पनि निर्णय हुन नसकेमा तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट निर्धारण भएको भाडादरमा १०% वृदि भएको वहाल दरलाई लिनु पर्नेछ । यसरी चलन चल्तीको वहाल कर तिरेका व्यवसायीहरुले व्यवसाय छोडेमा सोको जानकारी नगरपालिकामा घर धनीले गराई अभिलेख सुधार गर्नु पर्नेछ । अभिलेख सुधार नहुन्जेल नगरपालिकाले कर गणना गरी असुल गर्नेछ ।<br>☞ न्यूनतम भाडा दरको लागि पक्कि वा कच्ची दुवै प्रकारका संरचनालाई एकै मान्ने । |
| २. | ☞ माथि सि.न. १ वाहेकका वडा नं. ५ का क्षेत्रको साथै नगरपालिकाका अरु सवै क्षेत्रहरु | गैर व्यापारीक क्षेत्र | ☞ वाटोमा सटेका सटर/कोठाहरु नगरपालिकाको अनुगमन जाँदा व्यवसाय गरेको देखिएमा प्रति सटर/कोठा प्रति महिना न्यूनतम रु. ५००<br>☞ तर घर धनि आफै व्यवसाय गरेको अवस्थामा व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय कर लिई वहाल कर लिइने छैन ।<br>☞ होटल संचालन गरेका घरहरुको सम्बन्धमा प्रति सटर रु. १०००।- र प्रतिकोठा न्यूनतम रु. ५००।- प्रति महिनाका दरले वहालकर लिइनेछ ।<br>☞ घर धनि आफैं व्यवसाय गरेका तर वार्षिक २० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायहरुको सन्दर्भमा उक्त फर्मको अडिट रिपोर्ट हेरी अडिट रिपोर्टमा वहाल (भाडा) वापत खर्च देखाएको पाइएमा अडिट रिपोर्टको वहाल रकम र माथि उल्लेख भएको न्यूनतम दरको वहाल रकम जुन बढी हुन्छ सो अनुसार कर लिइनेछ । | |

अनुसूची-१ (घ)

**(दफा ५ सँग सम्बन्धित )**

**व्यवसाय कर**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को करको दर |
|---|---|---|
| **१.** | **चुरोट, रक्सी पसल** | |
| १.१ | थोक बिक्रेता | ५००० |
| १.२ | खुद्रा बिक्रेता | ३००० |
| **२.** | **खाद्यान्न किराना पसल** | |
| २.१ | थोक बिक्री गर्ने पसल | २५०० |
| २.२ | सबै सामान राखी खुद्रा किराना सामान बिक्री गर्ने (ठुलो) | २००० |
| २.३ | सबै सामान राखी खुद्रा किराना सामान बिक्री गर्ने (मध्यम) | १५०० |
| २.४ | सबै सामान राखी खुद्रा किराना सामान बिक्री गर्ने (मध्यम सानो) | १००० |
| २.५ | सबै सामान राखी खुद्रा किराना सामान बिक्री गर्ने (सानो) | ३०० |
| २.६ | सबै सामान राखी खुद्रा किराना सामान बिक्री गर्ने (कुटुरी) | १०० |
| **३.** | **व्यापारिक वस्तु/अन्य सेवा** | |
| ३.१ | सुन, चाँदी बिक्रेता | ५००० |
| ३.२ | भिडियो क्यासेट रेकर्डर तथा प्लेयर उत्पादक | २००० |
| ३.३ | हलुका पेय पदार्थको थोक बिक्रेता | ५००० |
| ३.४ | टिभी, फ्रिज, मोबाइल लगायतका सामानको पसल | ४००० |
| ३.५ | कम्प्यूटर र सोका सामान आदि बिक्री गर्ने पसल | ३००० |
| ३.६ | विद्युतीय सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसल | २००० |
| ३.७ | रेडियो, घडी तथा मोवाईल मर्मत पसल | २००० |
| ३.८ | चस्मा पसल | ३००० |
| ३.९ | काठ तथा स्टीलका फर्निचरका सामान तथा कार्पेट पसल | ४००० |
| ३.१० | पत्रपत्रिका तथा स्टेशनरी पसल | २००० |
| ३.११ | फलफूल तथा तरकारी पसल | ५०० |
| ३.१२ | स्वदेश, विदेशी कपडा तथा तयारी पोशाक जुत्ता आदि विक्री पसल | २००० |
| ३.१३ | ब्यूटी पार्लर, केश श्रृङ्गार तथा केश काट्ने (सैलुन) ड्राई क्लिनर्स, फोटो स्टुडियो, आदि | १५०० |
| ३.१४ | साईन बोर्ड वनाउने पेन्टिङ सेवा /फ्लेक्स प्रिन्ट | २००० |
| ३.१५ | आर्ट/स्टीकर व्यवसाय | १००० |
| ३.१६ | पशु वधसाला | ३००० |
| ३.१७ | मासु विक्रेता | २००० |
| ३.१८ | पुल/स्नोकर हाउस | ३००० |

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को करको दर |
|---|---|---|
| ३.१९ | सिसा प्लाईउड विक्रेता | २००० |
| ३.२० | भाँडाकुडा विक्रेता | २००० |
| ३.२१ | खेलौना, उपहार (गिफ्ट) कस्मेटिक पसल | १००० |
| ३.२२ | केवुल नेटवर्किङ्ग | ५००० |
| ३.२३ | डेरी उद्योग | ३००० |
| ३.२४ | ग्रील उद्योग (कुल पुँजी ३००००० सम्म) | ३००० |
| ३.२५ | ग्रील उद्योग (कुल पुँजी ३००००० भन्दा माथि) | ५००० |
| ३.२६ | सिलाई, बुनाई पसल/टेलरिङ | १००० |
| ३.२७ | बेकरी एण्ड चिया कफी सप | २००० |
| ३.२८ | विषेश परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवा | २५०० |
| ३.२९ | सामान ढुवानीकर्ता तथा सप्लायर्स कम्पनी | २५०० |
| ३.३० | मेसिनरी बाहेक सामान्य मर्मत गर्ने वर्कशप | २५०० |
| ३.३१ | क्याटरिङ एण्ड टेण्ट हाउस | ५००० |
| ३.३२ | टेण्ट हाउस मात्र | ३००० |
| ३.३३ | ड्राइभिङ सेन्टर | ३००० |
| ३.३४ | मोटरसाइकल सोरुम | ८००० |
| ३.३५ | मोटर साईकल वर्कशप | ५००० |
| ३.३६ | गाडी वर्कसप | ७००० |
| ३.३७ | प्याराग्लाईडिङ व्यवसाय | ५००० |
| ३.३८ | च्याफ्टिङ (मात्र) व्यवसाय | ५००० |
| ३.३९ | फुटसल | १५०० |
| ३.४० | ट्याटु आर्ट/ट्याटु पार्लर | १५०० |
| **४.** | **निर्माण सामग्री विक्रेता** | |
| ४.१ | सिमेन्ट, छड र अन्य  निर्माण सामग्री बिक्रेता वा सप्लायर्स | १०००० |
| ४.२ | सिमेन्ट ब्लक निर्माण उद्योग | २००० |
| ४.३ | छड, सिमेन्ट वाहेक अन्य निर्माण सामग्री बिक्रेता | ३००० |
| **५.** | **पेट्रोलियम पदार्थ र चार्जिङ स्टेशन** | |
| ५.१ | आयल निगमको डिलर भै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने | १५००० |
| ५.२ | ग्यास डिलर | ४००० |
| ५.३ | ग्यास पसल | १५०० |
| ५.४ | इलेक्ट्रोनिक भेइकल चार्जिङ स्टेशन | ५००० |

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को करको दर |
|---|---|---|
| **६.** | **स्टील तथा काठको फर्निचर उद्योग** | |
| ६.१ | ट्रली समेत राखेको स-मिल | ५००० |
| ६.२ | स-मिल तथा उच्च स्तरको फर्निचर वनाउने उद्योग | ७००० |
| ६.३ | सामान्य फर्निचर उद्योग | २५०० |
| **७.** | **कृषि तथा वनजन्य उद्योग** | |
| ७.१ | एक लाख रुपैँया सम्म | ५०० |
| ७.२ | एक लाख रुपैँया भन्दा बढी तीन लाख रुपैँया सम्म | १,००० |
| ७.३ | तीन लाख रुपैँया भन्दा बढी पाँच लाख रुपैँया सम्म | १,५०० |
| ७.४ | पाँच लाख रुपैँया भन्दा बढी बीस लाख रुपैँया सम्म | २,००० |
| ७.५ | बीस लाख रुपैँया भन्दा बढी पचास लाख रुपैँया सम्म | २,५०० |
| ७.६ | पचास लाख रुपैँया भन्दा बढी एक करोड रुपैँया सम्म | ३,००० |
| ७.७ | एक करोड रुपैँया भन्दा बढी पाँच करोड रुपैँया सम्म | ४,००० |
| ७.८ | पाँच करोड रुपैँया भन्दा बढी | ५,००० |
| **८.** | **घरेलु उद्योग (गलैचा, जुत्ता, मिल, क्यान्डी, तथा अन्य साना घरेलु उद्योग)** | |
| ८.१ | पाँच लाख रुपैँया सम्म | १,५०० |
| ८.२ | पाँच लाख रुपैँया भन्दा बढी बीस लाख रुपैँया सम्म | २,००० |
| ८.३ | बीस लाख रुपैँया भन्दा बढी पचास लाख रुपैँया सम्म | २,५०० |
| ८.४ | पचास लाख रुपैँया भन्दा बढी एक करोड रुपैँया सम्म | ३,००० |
| ८.५ | एक करोड रुपैँया भन्दा बढी पाँच करोड रुपैँया सम्म | ४,००० |
| ८.६ | पाँच करोड रुपैँया भन्दा बढी | ५,००० |
| **९.** | **होटल तथा रिसोर्ट** | |
| ९.१ | २० बेड बढीको रिसोर्ट | ५०००० |
| ९.२ | २० बेड सम्मको रिसोर्ट | २५००० |
| **१०.** | **होटल एण्ड लज/होमस्टे** | |
| १०.१ | २० कोठा भन्दा बढी भएको होटल एण्ड लजको लागि | १५००० |
| १०.२ | ११ कोठा देखि २० कोठा सम्म भएको होटल एण्ड लजको लागि | १०००० |
| १०.३ | ५ कोठा देखि १० कोठा भएको होटल एण्ड लजको लागि | ५००० |
| १०.४ | माथि उल्लेखित बाहेक साना होटल एण्ड लज | ४००० |
| १०.५ | होटल | ३००० |
| १०.६ | भोजनालय/खाजा घर | १५०० |
| १०.७ | मिठाई पसल | ३००० |
| १०.८ | चिया पसल | ५०० |
| १०.९ | सामुदायिक होमस्टे | २५०० |
| १०.१० | निजी होमस्टे | २००० |

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को करको दर |
|---|---|---|
| **११.** | **सेवा उद्योग** | |
| ११.१ | सिनेमा हल | ५००० |
| ११.२ | अफसेट प्रेस | ५००० |
| ११.३ | लेटर प्रेस | २००० |
| ११.४ | छपाई तथा प्रकाशन | १००० |
| ११.५ | कलर ल्याब | ५००० |
| ११.६ | फोन, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट, | ३००० |
| ११.७ | संचार सेवा (रेडियो एफ .एम) | २००० |
| ११.८ | सार्वजनिक परिवहन (बुकिङ काउन्टर) | २००० |
| ११.९ | हवाई सेवा बुकिङ काउन्टर | २००० |
| ११.१० | सेवा प्रदायक संस्थाको शाखा विस्तार | १०००० |
| ११.११ | कुरियर | ४००० |
| **१२.** | **वित्तीय सेवा (शाखा)** | |
| १२.१ | विमा कम्पनी (शाखा) | १०००० |
| १२.२ | रेमिटेन्स कम्पनी (५ लाख सम्म पुँजी भएको) | ३००० |
| १२.३ | रेमिटेन्स कम्पनी (५ लाख भन्दा माथि पुँजी भएको) | ५००० |
| १२.४ | विदेशी मुद्रा सटही काउन्टर | ३००० |
| १२.५ | धितो पत्र कारोवार | ३००० |
| १२.६ | बैंक तथा वित्तीय संस्था | ५००० |
| **१३.** | **सहकारी संस्था** | |
| १३.१ | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | ३००० |
| १३.२ | बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ३००० |
| १३.३ | कृषि तथा वन सहकारी संस्था लि. | ५०० |
| **१४.** | **स्वास्थ्य सेवा** | |
| १४.१ | नर्सिङ होम | १०००० |
| १४.२ | क्लिनिक | २००० |
| १४.३ | भेटनरी पसल | २००० |
| १४.४ | औषधी पसल | ३००० |
| १४.५ | पोली क्लिनिक | ५००० |
| १४.६ | डेन्टल क्लिनिक | ५००० |
| १४.७ | D वर्गको ल्याब | ५००० |
| १४.८ | C वर्गको ल्याब | १०००० |

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को करको दर |
|---|---|---|
| १४.९ | B वर्गको ल्याब | १५००० |
| १४.१० | A वर्गको ल्याब | २०००० |
| १४.११ | ५ बेड सम्मको अस्पताल | ५००० |
| १४.१२ | ५ देखी १५ बेड सम्मको अस्पताल | १०००० |
| १४.१३ | १५ बेड  भन्दा माथी भएको अस्पताल | २०००० |
| **१५.** | **संस्थागत विद्यालय** | |
| १५.१ | बाल विकास केन्द्र (मन्टेश्वरी) | २००० |
| १५.२ | आधारभूत विद्यालय | ५००० |
| १५.३ | माध्यमिक विद्यालय | १०००० |
| **१६.** | **उत्पादन मूलक उद्योग** | **५०००** |
| **१७.** | **उर्जामूलक उद्योग** | **२००००** |
| **१८.** | **खनिज उद्योग** | **५०००** |
| **१९.** | **क्रसर उद्योग** | |
| १९.१ | ४०० हर्ष पावर भन्दा बढीको क्षमता भएको | १००००० |
| १९.२ | २०० हर्ष पावर देखि ३९९ सम्म क्षमता भएको | ७५००० |
| १९.३ | २०० हर्ष पावर भन्दा कम क्षमता भएको | ६०००० |
| **२०.** | **जिपलाईन** | **५०००** |
| **२१.** | **निर्माण मुलक व्यवसाय** | |
| २१.१ | 'घ' वर्ग | २५०० |
| २१.२ | 'ग' वर्ग | १०००० |
| २१.३ | 'ख' वर्ग | १५००० |
| २१.४ | 'क' वर्ग | ५०००० |
| **२२** | **खानी व्यवसाय** | |
| २२.१ | अति साना स्तर | १०००० |
| २२.२ | साना स्तर | २०००० |
| २२.३ | मझौला स्तर | ४०००० |
| २२.४ | ठूला स्तर | ८०००० |

**पुनश्च** : व्यवसायको नाम परिवर्तन, व्यवसायीको नामसारी तथा व्यवसायको ठाउँसारी गर्दा दर्ता शुल्क बराबरको रकम नै लाग्नेछ। प्रमाण पत्र हराएमा प्रतिलिपि जारी गर्नका लागि रु. ३०० राजश्व लाग्नेछ।

अनुसूची–१ (ङ)

**(दफा ६ सँग सम्बन्धित )**

**जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि करको दर (रु.) |
|---|---|---|
| **१.** | **कवाडी कर (संकलन तथा बिक्री)** | |
| १.१ | खाली सिसि वियर वोतल | रु. १ प्रति गोटा |
| १.२ | खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल.भन्दा माथि | ५० पैसा प्रति गोटा |
| १.३ | खाली सिसि (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल.भन्दा तल | २५ पैसा प्रति गोटा |
| १.४ | प्लास्टिक (बोतल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता, चपल, ग्यालन र जर्किन आदि) | रु. १ प्रति के.जी |
| १.५ | खाली वोरा (५० के.जी सम्म खाद्यान्न अँट्ने प्लाष्टिक/जुटका बोरा) | २५ पैसा प्रति गोटा |
| १.६ | खाली वोरा (१०० के.जी सम्म खाद्यान्न अँट्ने जुटका बोरा) | ५० पैसा प्रति गोटा |
| १.७ | तेलको टिन (१० लिटर भन्दा बढी अँट्ने ठूलो) | रु. २ प्रति गोटा |
| १.८ | तेलको टिन (१० लिटर भन्दा कम अँट्ने सानो) | रु. १ प्रति गोटा |
| १.९ | भिन्डु (प्रकृतिक र कृत्रिम ऊनका टुक्रा) | रु. २ प्रति के.जी |
| १.१० | गार्मेण्टको कपडाको टुक्रा | रु. २ प्रति के.जी |
| १.११ | जलेको मोविल | रु. १ प्रति लिटर |
| १.१२ | जुट र प्लाष्टिकका बोरा | २० पैसा प्रति के.जी |
| १.१३ | कार्पेटका टुक्रा | रु. २ प्रति के.जी |
| १.१४ | टायर ट्यूव | रु. २ प्रति के.जी |
| १.१५ | थोत्रो टिन | रु.५० पैसा प्रति के.जी |
| १.१६ | पुरानो ड्रम | रु.५० पैसा प्रति के.जी |
| १.१७ | पुरानो कागज (अखबार/न्यूजप्रिन्ट) | रु.५० पैसा प्रति के.जी |
| १.१८ | पुरानो कागज (अन्य कागज कार्टुन समेत) | रु. १ प्रति के.जी |
| १.१९ | फलामका टुक्राहरु र थोत्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार | रु. २ प्रति के.जी |
| १.२० | अन्य धातु(पित्तल, तामा आदि) टुक्राहरु र सोबाट वनेका सामानहरु | रु. २.५ प्रति के.जी |
| १.२१ | पोलिथिन पाइपका टुक्राहरु | रु. १ प्रति के.जी |
| १.२२ | सिसा (लिड) को धुलो वा टुक्रा | रु. ४ प्रति के.जी |
| १.२३ | काँचको धुलो र टुक्रा | रु. १ प्रति के.जी |
| १.२४ | पत्थर कोइला | प्रति के.जी रु.१० पैसा |
| १.२५ | मिनीरल बाटर | प्रति वोतल रु.२० पैसा |
| १.२६ | भट्टामा प्रयोग गर्ने माटो | प्रति घन मिटर रु. ५० पैसा |
| १.२७ | ईट्टा | प्रति एक हजार (गोटामा रु. २५) |
| १.२८ | सिमेन्ट बोरा | रु. १ प्रति बोरा |
| **२** | **जडीबुटी कर (संकलन तथा बिक्री)** | |
| २.१ | लप्सी निकासी | रु. ५० पैसा प्रति के.जी |
| २.२ | ऊन (प्राकृतिक, कृत्रिम, जगर) | रु. १० पैसा प्रति के.जी |
| २.३ | खोटो | रु. ५० पैसा प्रति के.जी |

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि करको दर (रु.) |
|---|---|---|
| २.४ | वनकस (खर), वावियो, मलहन पत्ता, छवाली, पराल, वगास, निगालो, लोक्ता, पटेर, अम्लिसो | प्रति गाडा रु. ५० |
| २.५ | वनकस (खर), वावियो, मलहन पत्ता, छवाली, पराल, वगास, निगालो, लोक्ता, पटेर, अम्लिसो | प्रति ट्र्याकटर रु. ७५ |
| २.६ | वनकस (खर), वावियो, मलहन पत्ता, छवाली, पराल, वगास, निगालो, लोक्ता, पटेर, अम्लिसो | प्रति ट्रक रु. १०० |
| २.७ | बाँस | प्रति गोटा ५० पैसा |
| २.८ | सालको बियाँ | प्रति के.जी रु. १ |
| २.९ | सल्लाको सिम्टा | प्रति के.जी रु. २५ पैसा |
| २.११ | सम्झौता नगरी लाने बुद्धचित्त माला निर्यात (प्रति के.जी.) | रु. २०० |
| २.१२ | रुद्राक्ष निर्यात (प्रतिकेजी) | रु. ५० |
| २.१३ | कफीको सुख्खा दाना(प्रति के.जी.) | रु. ५० |
| **३** | **जीवजन्तु कर (संकलन तथा बिक्री)** | |
| ३.१ | प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका पंछिहरु जस्तै हाँस, कुखुरा जस्ता पंछिहरुको प्वाँख | रु. २ प्रति के.जी |
| ३.२ | प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको हाड | रु. १ प्रति के.जी |
| ३.३ | प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको सिङ | रु. २ प्रति के.जी |
| ३.४ | प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको खूर | रु. २ प्रति के.जी |
| ३.५ | प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको छाला (ठूलो) | रु. ३० प्रति गोटा |
| ३.६ | प्रचलित कानूनले निषेधित गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको छाला (सानो) | रु. १५ प्रति गोटा |

अनुसूची-१ (च)

**(दफा ७ सँग सम्बन्धित)**

**विज्ञापन कर**

| सि.नं | विवरण | इकाइ | आ.व. ०८३/८४ को लागि करको दर (रु.) |
|---|---|---|---|
| १. | परिचय पाटी/साइन बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | १०० |
| २. | होर्डिङ बोर्ड/फ्लेक्स बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | १०० |
| ३. | नियोन साइन बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | १०० |
| ४. | ग्लोसाइन (विद्युतीय) बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | २०० |
| ५. | चलचित्र बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | ३०० |
| ६. | त्रिभिजन बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | २०० |
| ७. | स्क्रोरल भिजन बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | २०० |
| ८. | फिल्मी पोष्टर | प्रति वर्ग फुट | १२०० |
| ९. | व्यानर (बढीमा १ महिना सम्मका लागि) | प्रति गोटा | ५०० |
| १०. | आकाशे वेलुन/वाकिंग वेलुन | प्रति वर्ग फुट | १०० |
| ११. | व्यवसायिक भवन प्रवेशद्वार विज्ञापन गेट | प्रति वर्ग फुट | १००० |
| १२. | गाडीमा लेखि/बोकी विज्ञापन गर्दा | प्रति दिन प्रति व्यानर | २०० |
| १३. | स्टल/स्टल गेट | प्रति स्टल प्रति दिन | १००० |
| १४. | व्याग प्याग | प्रति वर्ग फुट | १०० |
| १५. | पोल व्यानर | प्रति वर्ग फुट | २०० |
| १६. | जात्रामेला खेलकुद विज्ञापन | प्रति वर्ग फुट | १०० |
| १७. | वाल/सटर पेन्टिङ | प्रति वर्ग फुट | २० |
| १८. | डि.पि.एस बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | ५० |
| १९. | लाईट बोर्ड/डिजिटल होर्डिङ बोर्ड | प्रति वर्ग फुट | १०० |
| २०. | सवारी साधनमा राखीने स्टीकर | प्रति वर्ग फुट | २०० |

**नोट :**

१. पसलमा पहिचानको लागि राखिने परिचय पाटीको साइज १६ वर्ग फुट सम्मको भएमा विज्ञापन कर लाग्नेछैन तर परिचय पाटीमा विज्ञापन मुलक सामाग्री प्रचार गरेमा सो मा विज्ञापन कर लाग्नेछ।

२. नगरपालिका क्षेत्रभित्र सुर्ति एवं मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन राख्न पाइनेछैन।

३. नगरपालिकाको ईजाजत नलिइ गरिएको विज्ञापन सामाग्रीलाई नगरपालिकाले कुनैपनि समयमा अग्रिम सूचन विना नै हटाउन सक्नेछ।

अनुसूची-१ (छ)

(**दफा ८ सँग सम्बन्धित** )

**बहाल बिरौटी कर**

| सि.नं | विवरण | आ.व ०८३/०८४ को लागि करको दर |
|---|---|---|
| १. | नगरभित्रका सडकहरुको दायाँ बाँयाँमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा व्यवसायीक प्रयोजनको लागि घर, टहरा लगाएतका संरचना वनाई रिसोर्ट, होटल, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसँग प्रति रोपनी | २०,००० |
| २. | नगर क्षेत्र भित्र सार्बजनिक वा निजी जग्गामा ब्यवसायिक प्रयोजनले घुम्ती ब्यापार, मेला, प्रदर्शनी, ब्यवसायिक क्याम्प वा शिविर संचालन गर्नु परेमा (प्रति दिन) | २,५०० |

अनुसूची-१ (ज)

(**दफा ९ सँग सम्बन्धित** )

**पार्किङ शुल्क**

| सि.नं | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि पार्किङ शुल्क |
|---|---|---|
| **१** | **ट्याक्टर** | |
| १.१ | १ घण्टा सम्म | २० |
| १.२ | सो अवधी भन्दा बढी प्रति घण्टा | १५ |
| १.३ | ६ घण्टा भन्दा बढी १ दिन सम्म | ७० |
| **२** | **हलुका सवारी साधन** | |
| २.१ | १ घण्टा सम्म | २० |
| २.२ | सो अवधी भन्दा बढी प्रति घण्टा | १५ |
| २.३ | ६ घण्टा भन्दा बढी १ दिन सम्म | ७० |
| **३** | **मोटरसाईकल** | |
| ३.१ | १ घण्टा सम्म | १० |
| ३.२ | सो अवधी भन्दा बढी प्रति घण्टा | ५ |
| ३.३ | ६ घण्टा भन्दा बढी १ दिन सम्म | ५० |

अनुसूची-१ झ (अ)

**(दफा १० सँग सम्बन्धित )**

**दस्तुर/सेवा शुल्क**

| सि.नं | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि कर/शुल्क | कै |
|---|---|---|---|
| **१.** | **घर नक्सा पास, निर्माण स्वीकृति दस्तुर** | | |
| १.१ | आर.सि.सि. ढलान घर (३ तला सम्म) प्रति वर्ग फिट | ६ | |
| १.२ | सो भन्दा माथि प्रति वर्ग फिट | १० | |
| १.३ | नक्शापास नगरी बनाएकोमा १००% थप दस्तुर लाग्नेछ | | |
| १.४ | आर.सि.सि. बाहेक पक्की घर प्रतिवर्ग फिट | ४ | |
| १.५ | नक्सापास नगरी बनाएकोमा १००% थप | | |
| १.६ | फुस, टिनको छाना/टहरा भएको घर प्रतिवर्ग फिट | १ | |
| १.७ | नक्सापास नगरी बनाएकोमा १००% थप | | |
| १.८ | नक्शा पास/निर्माण सम्पन्न नामसारी गर्नु पर्दा हाल कायम रहेको नक्सापास दस्तुरको १० प्रतिशत वा न्यूनतम जाँच मध्ये जुन बढी हुन आउँछ सोही अनुसारको दस्तुर लिई नामसारी गरिने छ। | १००० | |
| १.९ | आसिंक/निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र वा प्रतिलिपि दस्तुर रु.२०००/-लिई सरोकारवालालाई दिइनेछ। नक्सा पासका लागि निवेदन परि इजाजत पत्र लिएका तर निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि नाघेको निवेदकको हकमा समय अवधि भित्रै म्याद थपका लागि निवेदन गर्न नक्सा पास दस्तुरको ५%, म्याद नाघेको तर म्याद थप नभएका हकमा प्रत्येक वर्ष नक्सा पास दस्तुरकै १०% को दरले थप हुने गरी बिलम्व शुल्क लिई निर्माण सम्पन्न प्रदान गरिनेछ। | | |
| १.१० | डि.पि.सि चेक जाँच गर्न प्राविधिक फिल्ड जानु पर्दा | १००० | |
| १.११ | घर नक्सा पास गर्दा अनिवार्य रुपमा अमिन फिल्डमा खटाई अमिनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र नक्सा पास गर्ने र अमिन फिल्ड जाँदा रु. १००० दस्तुर लिइनेछ। | १००० | |
| घर निर्माणका लागि यस न.पा.बाट स्वीकृत (प्लीन्थ लेवल सम्मको) लिई तोकिएको अवधी भित्र निर्माण सम्पन्न नलिने वा थप दस्तुर तिरी म्याद थप गरिएकोमा थप अवधीभित्र निर्माण सम्पन्न नगरीएमा सो वापत राखिएको धरौटी रकम फिर्ता हुने छैन। | | | |
| **२** | **निर्माण भइसकेका घरको अभिलेखीकरण** | | |
| २.१ | आर.सि.सि. ढलान घर प्रति वर्ग फिट | ६ | |
| २.२ | आर.सि.सि. बाहेक पक्की घर प्रति वर्ग फिट | ४ | |
| २.३ | निवेदन दस्तुर | ५०० | |
| २.४ | प्राविधिक निरीक्षण नयाँ निर्माण | २००० | |
| २.५ | प्राविधिक निरीक्षण अभिलेखीकरण भुकम्प पिडित | १००० | |
| **३** | **छुट जग्गा दर्ता सिफारिस नगरपालिका क्षेत्रमा निवेदन फाराम र निवेदन दर्ता दस्तुर समेत** | | |
| ३.१ | १ रोपनी सम्म | ३०० | |
| ३.२ | १ रोपनी देखि ५ रोपनी सम्म | ५०० | |

| सि.नं | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि कर/शुल्क | कै |
|---|---|---|---|
| ३.३ | ५ रोपनी देखि १० रोपनी सम्म | १००० | |
| ३.४ | १० रोपनी भन्दा माथि एकमुष्ठ थप | २००० | |
| **४** | **जग्गा नामसारी सिफारिस** | | |
| ४.१ | ५ रोपनी सम्म | ५०० | |
| ४.२ | ५ रोपनी देखि २० रोपनी सम्म | १००० | |
| ४.३ | २० रोपनी भन्दा माथि | २००० | |
| **५** | **मोही दर्ता तथा मोही नामसारी सिफारिस** | | |
| ५.१ | ५ रोपनी सम्म | ३०० | |
| ५.२ | ५ रोपनी भन्दा माथि १० रोपनी सम्म | ५०० | |
| ५.३ | १० रोपनी भन्दा माथि २० रोपनी सम्म | १००० | |
| ५.४ | २० रोपनी भन्दा माथि | २००० | |
| **६** | **विविध सिफारिस** | | |
| ६.१ | संघ/संस्था/क्लव/गै.स.स दर्ता तथा नविकरण सिफारिस | १००० | |
| ६.२ | सेवा उद्योग (छापाखाना, परामर्श सेवा, जिनिङ्ग तथा वेलिङ्ग व्यवसाय, चलचित्र व्यवसाय, सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला, हवाई सेवा, शित भण्डार आदि) सम्बन्धी सिफारिस | १००० | |
| ६.३ | गैर सरकारी अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, क्लिनिक तथा ल्याव सम्बन्धी सिफारिस | १५०० | |
| ६.४ | डिलर लिने सिफारिस | ४००० | |
| ६.५ | माथि नखुलेका उद्योग व्यवसायका सिफारिस | १००० | |
| ६.७ | पहिलो नागरिकता सिफारिस | निःशुल्क | |
| ६.८ | बाहिरी जिल्ला कर्मचारी परिवार नागरिकता/प्रतिलिपि सिफारिस | ५०० | |
| ६.९ | नागरिकताको प्रतिलिपि लिन सिफारिस | २५० | |
| ६.१० | अँगिकृत नागरिकता सिफारिस | १००० | |
| ६.११ | धारा जडान सिफारिस | १०० | |
| ६.१२ | विद्युत मिटर जडान सिफारिस | १०० | |
| ६.१३ | आय स्रोत (आम्दानी) प्रमाणित प्रति हजार | १.५० | |
| ६.१४ | सम्पत्ति मुल्याङ्कन प्रति हजार रु.१.५०/- का दरले (विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट) | १.५० | |
| ६.१५ | प्रतिलिपि प्रमाणित/प्रतिलिपि दस्तुर रु.१०/- प्रतिपाना | १० | |
| ६.१६ | शैक्षिक प्रमाण-पत्र संशोधन/ प्रतिलिपि | २०० | |
| ६.१७ | चार किल्ला प्रमाणित | ५०० | |
| ६.१८ | घरबाटो भए नभएको प्रमाणित | १००० | |
| ६.१९ | स्थलगत निरीक्षण गरिएकोमा थप | ५०० | |
| ६.२० | घर जग्गा कर रसिदको प्रतिलिपि | ५० | |

| सि.नं | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि कर/शुल्क | कै |
|---|---|---|---|
| ६.२३ | नक्शापास गर्ने आवेदन पुस्तिका रु.५००/- प्रतिगोटा | ५०० | |
| ६.२४ | नाता प्रमाणित | ५०० | |
| ६.२५ | नाता सम्बन्ध (अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकको मृत्यु भएमा नाता प्रमाणित बापत् लाग्ने शुल्क) | २५० | |
| ६.२६ | अंग्रेजीबाट गरिने जुनसुकै प्रकारका सिफारिसको प्रति सिफारिस | ५०० | |
| ६.२७ | नीजि स्तरका विद्यालय स्थापना तथा तहवृद्धी सम्बन्धी सिफारिस | २००० | |
| ६.२८ | सामुदायिक/सरकारी विद्यालयको तह वृद्धि सम्बन्धी सिफारिस | ५०० | |
| ६.२९ | सक्सन ट्यांङ्क सेवा शुल्क | ५००० | |
| ६.३० | संचार टावर स्वीकृति सिफारिस | ६००० | |
| ६.३१ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपि | ५०० | |
| ६.३२ | व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब दस्तुर | २०० | |
| ६.३३ | काउन्सुलर प्रमाणित वापत् प्रति पाना | ५०० | |
| ६.३४ | खानीको भू-उपयोग कर वार्षिक रुपमा | ५००० | |
| ६.३७ | जग्गा वर्गीकरण (भू-उपयोग) सिफारिस शुल्क | ५०० | |
| ६.३८ | व्यवसाय बन्द/खारेजी सिफारिस | ५०० | |
| ३.३९ | कित्ताकाट सिफारिस | १००० | |
| ३.४० | पारिवारीक विवरण सिफारिस | ५०० | |
| ३.४१ | अन्य सिफारिस | १०० | |
| **७** | **विक्री शुल्क** | | |
| ७.१ | ढुङ्गा, चुनढुङ्गा, खरिढुङ्गा, गिट्टी, ग्रावेल, रोडा, वालुवा (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक) प्रति घन फिट | ७ | |
| ७.२ | स्लेट (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक) प्रति वर्ग फिट | ७ | |
| ७.३ | माटो (स्वीकृत खानी क्षेत्र बाहेक) प्रति घन फिट | ३.५० | |
| **८** | **न्यायिक दस्तुर** | | |
| ८.१ | वादविवाद (मुद्धा) सम्बन्धी निवेदन दर्ता (न्यायिक दस्तुर) | १०० | |
| ८.२ | घर जग्गा छुट्याउन अमिन फिल्ड जानु पर्दा | १००० | |
| ८.३ | दुवै पक्ष बीच मिलापत्र दस्तुर (प्रति पक्ष) | २०० | |
| ८.४ | रकम कलम उठाईदिए बापत सय कडा | ०.३% | |
| ८.५ | प्रतिलिपि उत्तार दस्तुर (प्रति पाना) | १० | |
| ८.६ | सर्जमिन मुचुल्का दस्तुर | ५०० | |
| **९** | **ईजाजत पत्र** | | |
| ९.१ | "घ" वर्गको ईजाजत पत्र | १०००० | |
| ९.२ | D वर्गको ल्याबको ईजाजत पत्र | १०००० | |
| ९.३ | १५ बेड सम्मको अस्पताल संचालन ईजाजत पत्र | १००००० | |

| सि.नं | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि कर/शुल्क | कै |
|---|---|---|---|
| **१०** | **नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को लागि अनुमति दिँदा** | | |
| १०.१ | स्काभेटर | १००००० | |
| १०.२ | ब्याक हो लोडर | ७५००० | |
| **११** | **संस्थागत/गुठी विद्यालयहरुलाई अनुमति दिँदा** | | |
| ११.१ | प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम संचालनको अनुमति दिँदा | २००० | |
| ११.२ | प्रारम्भिक बालविकास कक्षा संचालनको लागि अनुमति दिँदा | ३०० | |
| ११.३ | आधारभूत तहसम्म कक्षा संचालनको लागि अनुमति दिँदा | २००० | |
| ११.४ | माध्यमिक तहसम्म कक्षा संचालनको लागि अनुमति दिँदा | २००० | |
| ११.५ | कक्षा थप गर्न अनुमति दिँदा प्रति कक्षा (आधारभूत तह) | ५०० | |
| ११.६ | कक्षा थप गर्न अनुमति दिँदा प्रति कक्षा (माध्यमिक तह) | ५०० | |
| ११.७ | ट्युसन सेन्टर/कोचिङ्ग सेन्टर | ५००० | |
| ११.८ | बैकल्पिक विद्यालय | १५०० | |
| **१२** | **पशुपन्छी उपचारको लागि टिकट शुल्क** | | |
| १२.१ | गाई/भैंसी दर्ता शुल्क | १० | |
| १२.२ | भेडा/बाख्रा/बंगुर/खरायो दर्ता शुल्क | ५ | |
| १२.३ | कुखुरा/हाँस/अन्य पंक्षी दर्ता शुल्क | ५ | |
| १२.४ | कुकुर/विरालो दर्ता शुल्क | २५ | |
| १२.५ | हात्ती/घोडा/बाँदर/अन्य वन्यजन्तु दर्ता शुल्क | ५० | |
| १२.६ | गोवर परीक्षण | १० | |
| १२.७ | गाई/भैंसी शव परीक्षण | २५ | |
| १२.८ | भेडा/बाख्रा/बंगुर शव परीक्षण | २५ | |
| १२.९ | खरायो/कुखुरा/हाँस/अन्य पंक्षी शव परीक्षण | १० | |
| १२.१० | कुकुर/विरालो शव परीक्षण | १०० | |
| १२.११ | हात्ती/घोडा/बाँदर/अन्य वन्यजन्तु शव परीक्षण | २०० | |
| १२.१२ | बोका/साँढे/राँगो सुमर्ने | १५ | |
| १२.१३ | माइनर अपरेसन | १५ | |
| १२.१४ | थुनेली परीक्षण | २५ | |
| **१३** | **फोहोरमैला संकलन शुल्क** | | |
| १३.१ | एक परिवार बस्ने घर साँढे दूई तलासम्म | ३०० | |
| १३.२ | साँढे दूई तला भन्दा माथि प्रति तला थप | ५० | |
| १३.३ | कस्मेटिक, पत्रिका, लत्ताकपडा, पसल आदि व्यवसाय (१०० स्क्वायर फिट सम्म) | १०० | |
| १३.४ | किराना, खाद्यान्न, फेन्सी पसल आदि व्यवसाय (१०० स्क्वायर फिट सम्म) | १०० | |
| १३.५ | किराना, खाद्यान्न, फेन्सी पसल आदी व्यवसाय (१०० स्क्वायर फिट भन्दा ठुलो | १५० | |

| सि.नं | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि कर/शुल्क | कै |
|---|---|---|---|
| १३.६ | चिया, कफि, केक तथा बेकरी पसल व्यवसाय (१०० स्क्वायर फिट भन्दा सानो) | १५० | |
| १३.७ | तरकारी, चिया, कफि, केक तथा बेकरी र साईबर आदि (१०० स्क्वायर फिट भन्दा ठुलो) | २०० | |
| १३.८ | फलफुल तथा जुस पसल व्यवसाय (१०० स्क्वायर फिट भन्दा सानो) | १५० | |
| १३.९ | फलफुल तथा जुस पसल व्यवसाय (१०० स्क्वायर फिट भन्दा ठुलो) | ३०० | |
| १३.१० | सैलुन, ब्युटिपार्लर व्यवसाय तथा औषधि पसल (१०० स्क्वायर फिट भन्दा सानो) | ३०० | |
| १३.११ | सैलुन, ब्युटिपार्लर व्यवसाय तथा औषधि पसल (१०० स्क्वायर फिट भन्दा ठूलो) | ५०० | |
| १३.१२ | औषधि पसल ल्याव सहित (१०० स्क्वायर फिट भन्दा ठुलो) | ६०० | |
| १३.१३ | मासु पसल व्यवसाय (बधशाला नभएको) | ३०० | |
| १३.१४ | बधसाला सहित मासु पसल व्यवसाय (सानो) | १००० | |
| १३.१५ | बधसाला सहित मासु पसल व्यवसाय ट्रक वा ट्र्याक्टरबाट प्रति ट्रिप सानो | ३००० | |
| १३.१६ | **निजी स्कुलहरुको हकमा** | | |
| क. | नर्सरी देखि ५ कक्षा सम्म (होस्टेल नभएको) | ३०० | |
| ख. | नर्सरी देखि ५ कक्षा सम्म (होस्टेल भएको) | ५०० | |
| ग. | नर्सरी देखि १० कक्षा सम्म (होस्टेल नभएको) | ५०० | |
| घ. | नर्सरी देखि १० कक्षा सम्म (होस्टेल भएको विद्यार्थी संख्या ४०० सम्म) | १००० | |
| ङ. | नर्सरी देखि १० कक्षासम्म (होस्टेल भएमा) विद्यार्थी संख्या ४०० भन्दा माथि | १५०० | |
| च. | माध्यामिक १० जोड २ सम्म (होस्टेल नभएमा) | १००० | |
| छ. | माध्यामिक १० जोड २ सम्म (हास्टेल भएमा) | १५०० | |
| १३.१७ | बैंक, सरकारी स्कुल, क्याम्पस र कार्यालयहरु तथा विदेशी बसोबास गर्ने घरहरुमा | ५०० | |
| १३.१८ | हाई भिजन हलहरु | १००० | |
| १३.१९ | सिनेमा हलहरु | १५०० | |
| १३.२० | उद्योग, कल कारखानाहरु, कार्पेट, गार्मेन्ट | २००० | |
| १३.२१ | डिपार्टमेन्ट स्टोर्स | ५०० | |
| १३.२२ | पार्टी प्यालेस/भोज आयोजना स्थल (सानो) | १५०० | |
| १३.२३ | पार्टी प्यालेस/भोज आयोजना स्थल (ठूलो) | २००० | |
| १३.२४ | सुपर स्टोर (आकार हेरी) | ३००० | |
| १३.२५ | अस्पताल/नर्सिङहोम (चिकित्सा जन्य हानिकारक फोहर बाहेक) | १००० | |

| सि.नं | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि कर/शुल्क | कै |
|---|---|---|---|
| १४ | सामुदायिक वनको हकमा वन पैदावार बिक्री गर्दा वन पैदावार वापत प्राप्त हुने कूल रकमको १० प्रतिशत (स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ प्रथम संशोधनको दफा ६२ ख बमोजिम) | | |
| **१५** | **काठ निकासी** | | |
| १५.१ | काठको निकासी शुल्क (जिल्ला भित्र) प्रति क्युफिट | ५ | |
| १५.२ | काठको निकासी शुल्क (जिल्ला बाहिर) प्रति क्युफिट | १० | |
| **१६** | **नगरपालिका बाट भाडा लिएमा लाग्ने दस्तुर** | | |
| १६.१ | नगर सभा हल (प्रतिदिन) | ३००० | |
| १६.२ | नगर कार्यपालिका हल (प्रतिदिन) | २००० | |
| १६.३ | डोजर (प्रति घन्टा) इन्धन बाहेक, ड्राइभर भत्ता बाहेक | ७५० | |
| १६.४ | डोजर (प्रति घन्टा) इन्धन सहित, ड्राइभर भत्ता बाहेक | २३०० | |
| **१७** | **लिखत प्रमाणित वापत लाग्ने शुल्क** | | |
| १७.१ | ५ लाख सम्मका लागि | रु. ५०० | |
| १७.२ | ५ लाख देखि २० लाख सम्मका लागि | रु. १,००० | |
| १७.३ | २० लाख देखि ५० लाख सम्मका लागि | रु. १,५०० | |
| १७.४ | ५० लाख देखि १ करोड सम्मका लागि | रु. २,००० | |
| १७.५ | १ करोड देखि माथि | रु. ५,००० | |
| १७.६ | बुद्धचित्त दाना/माला निर्यात सम्झौता रकमको | १० प्रतिशत | |

**नोट** : बुद्धचित्त दाना/माला निर्यात गर्दा अनिवार्य रुपमा सम्झौता गर्नुपर्नेछ। यसरी सम्झौता गर्दा १ वर्ष भन्दा बढी अवधिको सम्झौता भएमा सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधि सम्म १० प्रतिशतले हुन आउने रकम एकमुष्ठ अशुल गरिनेछ।

अनुसूची-१ झ (आ)

(**दफा १० सँग सम्बन्धित**)

**प्रवेश शुल्क शुल्क**

| सि.नं | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि प्रवेश शुल्क |
|---|---|---|
| **नगरपालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलहरु** | | |
| १. | आन्तरिक नागरिक (प्रति व्यक्ति) | २० |
| २. | सार्क मुलुक भित्रका नागरिक (प्रति व्यक्ति) | १०० |
| ३. | अन्य विदेशी मुलुकका नागरिक (प्रति व्यक्ति) | २०० |

अनुसूची-१ झ (इ)

(**दफा १० सँग सम्बन्धित**)

**निःशुल्क गरिने सिफारिसहरु**

| सि.नं. | सिफारिसको प्रकारहरु |
|---|---|
| १. | सुरु नागरिकता सिफारिस |
| २. | छात्रवृत्ति सम्बन्धी सिफारिस |
| ३. | आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई विपन्न सिफारिस |
| ४. | व्यक्तिगत घटना दर्ताको सिफारिस (३५ दिन सम्म मात्र) |
| ५. | योजना सम्झौता तथा भुक्तानी एवं बैंक खाता संचालन सम्बन्धी सिफारिस |
| ६. | स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी सिफारिस |
| ७. | अनाथ, अपाङ्ग, दलित जस्ता व्यक्तिहरुले सहुलियत पाउनका लागि गरिएको सिफारिस |
| ८. | कृषि/पशु वीमा दावी सिफारिस |
| ९. | विपद् सम्बन्धी सिफारिस |

अनुसूची-१ झ (ई)

**(दफा १० सँग सम्बन्धित )**

**दर्ता/नविकरण तथा सूचीकरण शुल्क**

| क्र.सं. | विवरण | दर्ता शुल्क | नविकरण शुल्क | सूचीकरण शुल्क | सूचीकरण नविकरण शुल्क | विवरण हेरफेर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | व्यवसाय | २०० | १०० | २०० | १०० | २०० |
| २. | संघ संस्था | १००० | ५०० | १००० | ५०० | १००० |
| ३. | खानेपानी मुहान | ५०० | - | - | - | - |
| ४. | खानेपानी समिति | ५०० | २५० | - | - | ५०० |
| ५. | सामुदायिक वन | - | - | २०० | १०० | - |
| ६. | धार्मिक वन | - | - | ५०० | २५० | - |
| ७. | कबुलियती वन | - | - | २०० | १०० | - |
| ८. | निजी वन | - | - | १००० | ५०० | - |
| ९. | नगरपालिका भित्र कामकाज गर्ने व्यवसायीलाई सुचीकृत गराउने | - | - | १००० | १००० | - |
| १०. | अन्य सूचीकरण | | | १००० | ५०० | |
| ११. | कृषि सहकारी | २०० | - | २०० | - | - |
| १२. | बहुउद्देश्यीय सहकारी | ३०० | - | ३०० | - | - |
| १३. | बचत तथा ऋण सहकारी | ५०० | - | ५०० | - | - |

**नोट १ :** अपाङ्ग, असाध्य रोग, मानव वेचविखन, लैङ्गीक हिंसामा काम गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था भएका संघ संस्थाहरुको दर्ता/नविकरण शुन्य (०) दरमा हुनेछ।

**नोट २ : नविकरण:**

(१) प्रत्येक वर्ष असोज मसान्त भित्र प्रत्येक व्यवसाय/संस्थाले अनिवार्य रुपमा नविकरण गर्नुपर्नेछ। नविकरण गर्दा दर्ता शुल्कको आधा (५०%) शुल्क लाग्नेछ।

(२) असोज मसान्त भित्र नविकरण नगरी सो वर्षको असार मसान्त भित्र नविकरण गरेमा नविकरण शुल्कको थप सत प्रतिशत (१००%) शुल्क लाग्नेछ।

(३) सो असार मसान्त भित्र नविकरण नगरी अर्को वर्ष भित्र नविकरण गरेमा सो नविकरण शुल्कको थप दुई सय प्रतिशत (२००%) शुल्क लिइ नविकरण गर्न सकिनेछ र रु. एक हजार जरिवाना समेत लाग्नेछ।

अनुसूची-१ (ञ)

**(दफा ११ सँग सम्बन्धित )**

**पर्यटन शुल्क**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि शुल्क |
|---|---|---|
| १. | पर्यटन शुल्क | १०० |

अनुसूची–१ (ट)

**(दफा १२ सँग सम्बन्धित)**

**सवारी कर**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १. | अटोरिक्सा | २५०० | वार्षिक व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण शुल्क समान हुनेछ। |
| २. | विद्युतीय रिक्सा | २२०० | |
| ३. | टाँगा | ७०० | |
| ४. | रिक्सा | १००० | |

अनुसूची–१ (ठ)

**(दफा १६ सँग सम्बन्धित)**

**कर्मचारी/शिक्षकको परीक्षा शुल्क**

| सि.नं. | विवरण | आ.व. ०८३/८४ को लागि करको दर | कै. |
|---|---|---|---|
| **नगरपालिकाले नियुक्ती गर्ने कर्मचारी** | | | |
| १. | चौथो तह | ५०० | |
| २. | पाँचौं तह | ७०० | |
| ३. | अधिकृतस्तर छैठौं/सातौं | १२०० | |
| ***सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको हकमा शुल्क लाग्ने छैन।*** | | | |
| **विद्यालय तर्फका शिक्षक/कर्मचारी** | | | |
| १. | विद्यालय कर्मचारी | ४०० | |
| २. | प्रारम्भिक वालविकास सहजकर्ता | ५०० | |
| ३. | प्राथमिक शिक्षक | ७०० | |
| ४. | निम्न माध्यमिक शिक्षक | १००० | |
| ५. | माध्यमिक शिक्षक (९-१०) | १५०० | |
| ६. | माध्यमिक शिक्षक (११-१२) | २००० | |
| ***विद्यालय कार्यालय सहयोगीको हकमा शुल्क लाग्ने छैन।*** | | | |

अनुसूची-१ (ङ)

**(दफा १८ सँग सम्बन्धित)**

**दण्ड जरिवाना**

| क्र.सं. | कसुर | दण्ड जरिवाना | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पहिलो | दोस्रो | तेस्रो वा सो भन्दा बढी |
| १. | व्यवसाय दर्ता/नविकरण नगरी संचालन गरेको पाईएमा | रु. १,०००।- जरिवाना अशुल गरी दर्ता/नविकरण शुल्क समेत अशुल गर्ने । | | |
| २. | कर सम्बन्धी झुठो विवरण पेश गरेमा | कर रकमको शत प्रतिशत थप जरिवाना असुल गर्ने । | | |
| ३. | अनुमती प्राप्त गर्ने व्यवसायी वा संस्थाले उत्खनन् परिणाम भन्दा बढी उत्खनन् गरेमा वा अनुमती नलिई गरेमा तथा मापदण्ड विपरित कार्य गरेमा (मापदण्ड विपरित कार्य गर्ने मेसिन र सामान पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहन वापत जरिवानाको २०% दिइनेछ) | रु. ५०,०००।- | रु. १००,०००।- | मेसिन र सामान जफत गर्ने |
| ४. | सडकमा निर्माण सामग्री थुपारेमा | रु. १,०००।- | रु. २,०००।- | सामान जफत गर्ने |
| ५. | फुटपाथ पसल, साईकल, मोटरसाईकल, ठेलागाडामा ब्यापार गरेमा | रु. १००।- | रु. ५००।- | सामान जफत गर्ने |
| ६. | गाडीमा व्यापार गरेमा | रु. १,०००।- | रु. २,०००।- | सामान जफत गर्ने |
| ७. | ब्यापारीले पसल क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर सार्वजनिक स्थानमा सामान राखी बिक्री गरेमा | रु. ५००।- | रु. १,०००।- | सामान जफत गर्ने |
| ८. | नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाउने महिना (असार, श्रावण र भदौ) मा उत्खनन् गरेको पाइएमा( मापदण्ड विपरित कार्य गर्ने मेसिन र सामान पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहन वापत जरिवानाको २०% दिइनेछ) | रु. ५०,०००।- | रु. १,००,०००।- | मेसिन जफत गर्ने |
| ९. | ब्याक हो लोडर, स्काभेटर नदीमा उत्खनन्को लागि अनुमति नलिई संचालन गरेमा (मापदण्ड विपरित कार्य गर्ने मेसिन र सामान पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहन वापत जरिवानाको २०% दिइनेछ) | अनुमति शुल्क असुल गरी थप शत प्रतिशत जरिवाना लिने | अनुमति शुल्क असुल गरी थप २०० प्रतिशत जरिवाना लिने | मेसिन जफत गर्ने |
| १०. | निशेधित क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, संकलन गरी निकासी गरेमा( मापदण्ड विपरित कार्य गर्ने मेसिन र सामान पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहन वापत जरिवानाको २०% दिइनेछ) | रु. ५०,००० जरिवाना लिने | रु. १,००,००० जरिवाना लिने | गाडी र सामान जफत गरी लिलाम गर्ने |

| क्र.सं. | कसुर | दण्ड जरिवाना | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पहिलो | दोस्रो | तेस्रो वा सो भन्दा बढी |
| ११. | राजश्व नतिरी वा चलान पुर्जी नलिई नदी/क्रसरबाट सिधै ढुङ्ग, गिट्टी, बालुवा ढुवानी गरेमा(मापदण्ड विपरित कार्य गर्ने मेसिन र सामान पक्राउ गर्नेलाई प्रोत्साहन वापत जरिवानाको २०% दिइनेछ) | भ्याट रकम सहितको विक्री शुल्क अशुल गरी सोही बराबरको जरिवाना लिने | भ्याट रकम सहितको विक्री शुल्क असुल गरी प्रत्येक पटक दोब्बर जरिवाना लिने | |
| १२. | बुद्धचित्त अवैध रुपमा निर्यात गरेमा | रु. १०,००० जरिवाना असुल गरी सामान जफत गर्ने | | |
| १३. | खोलामा विष, करेन्ट प्रयोग गरी माछा मारेमा | रु. ५००० असुल गर्ने | रु. १०००० असुल गर्ने | |
| १४. | अन्यत्रबाट ल्याई नदी वा जंगल वा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फालेमा | रु. ५००० असुल गर्ने | रु. १०००० असुल गर्ने | |
| १५. | नगरपालिका क्षेत्र भित्र अनुमति बिना ब्यवसायिक प्रयोजनलाई काठ, दाउरा कटान गरी निकासी गरेमा | बिक्री शुल्क असुल गरी शत प्रतिशत जरिवाना लिने | बिक्री शुल्क असुल गरी २०० प्रतिशत जरिवाना लिने | गाडी र सामान जफत गरी लिलाम गर्ने |
| १६. | सहकारी संस्थाले तोकिएको मिति भित्र लेखा परीक्षक नियुक्त गरी जानकारी नगराएमा | कृषि सहकारी रु. २०० जरिवाना लिने<br>अन्य सहकारी रु. ५०० जरिवाना लिने | | |
| १७. | सहकारी संस्थाले तोकिएको मितिभित्र साधारण सभाको प्रतिवेदन पेश नगरेमा | कृषि सहकारी रु. २०० जरिवाना लिने<br>अन्य सहकारी रु. ५०० जरिवाना लिने | | |
| १८. | सडक, पार्क अथवा जङ्गलमा फोहोर निस्कासन गरेमा अथवा छिमेकीलाई असर पर्ने गरि फोहोर राखेमा | घरायसी प्रयोजन रु. २०००।- असुल गर्ने<br>व्यवसायिक प्रयोजन रु. ५०००।- असुल गर्ने | | |
| १९. | पसल, सडक अथवा घर वरिपरि प्लास्टिक जन्य बस्तु बालेमा | घरायसी प्रयोजन रु. १०००।- असुल गर्ने<br>ब्यवसायिक प्रयोजन रु. २०००।- असुल गर्ने | | |
| २०. | कृषि योग्य जमिन बाँझो राखेमा | रु. ५०० जरिवाना लिने | | |
| २१. | वनमा डढेलो लगाएमा | रु. ५,००० जरिवाना लिने | | |
| २२. | बंगुर पालन गरी जथाभावी फोहोर गरेमा | रु. १००० जरिवाना लिने | रु. २००० जरिवाना लिने | |
| २३. | नगरपालिका भित्रका सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा विग्रीएका पुराना सवारी साधनहरु अव्यवस्थित रुपमा राखी सूचना दिँदा समेत सवारी धनीले नहटाएमा | रु. १००० | रु. १५०० | नगरपालिकाबाट जफत गरी लिलाम विक्री गर्न सक्ने |
| २४. | पसलमा विल विजक नराखेमा | रु. ५,००० जरिवाना लिने | | |
| २५. | पसलमा मुल्य सूची नराखेमा | रु. ५,००० जरिवाना लिने | | |

| क्र.सं. | कसुर | दण्ड जरिवाना | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पहिलो | दोस्रो | तेस्रो वा सो भन्दा बढी |
| २६. | होटल, खाना तथा खाजा घरको किचन, विक्री काउन्टर, भाडा माझ्ने स्थान, शौचालय आदि सफा नभएमा | रु. १०,००० जरिवाना लिने | | |
| २७. | नगरपालिका क्षेत्र भित्र सुर्ति एवं मधिरा जन्य पदार्थहरुको विज्ञापन तथा अन्य कुनै किसिमको होर्डिङ बोर्डहरु राखेमा | रु. ५००० देखि १०००० सम्म जरिवाना गरी बोर्ड हटाउने | | |
| २८. | म्याद गुज्रिएको सामान विक्री गर्न राखेको भेटिएमा (सानो खुद्रा पसल) | रु. ५००० जरिवाना लिने | | |
| २९. | म्याद गुज्रिएको सामान ठूलो परिमाणमा विक्री गर्न राखेको भेटिएमा | रु. २००००० जरिवाना लिने | | |
| ३०. | बजार अनुगमन तथा निरीक्षण समितिद्वारा बजार अनुगमन गर्दा अनुगमन कार्यमा बाधा पुऱ्याएमा/असर गरेमा | रु. २०,००० जरिवाना लिने | | |
| ३१. | घ वर्ग इजाजत पत्र नविकरणको विलम्व शुल्क (असोज महिना पछि) | रु. १०,००० जरिवाना लिने | | |
| ३२. | अन्य जरिवाना | रु. २००० जरिवाना लिने | | |

*यस ऐनमा उल्लेख नभएका कर लगायतका विषयहरुको सम्बन्धमा नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार हुनेछ।*